

## कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द


क्रमांक : 40

दिनांक : 03.05.2024

### संशोधित कार्यालय आदेश

प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 38 दिनांक 29.04.2024 में आंशिक संशोधन किया जाकर माह मई, 2024 में दिनांक 05.05.2024 के राजकीय अवकाश हेतु राजसमन्द न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारी श्री सुनील, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा जिला राजसमन्द के स्थान पर श्री विजय टांक, न्यायिक मजिस्ट्रेट आमेट को रिमांड ड्यूटी/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है।

पूर्व का शेष आदेश यथावत रहेगा।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
राजसमन्द

क्रमांक : स्था0/2024/380

दिनांक : 03.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित किया जावे।
4. इन्चार्ज, पुलिस कंट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय राजसमन्द को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई-कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
राजसमन्द